

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या— कृ० प्र० किसान सलाहकार योजना 01/2015 /कृ०, पटना, दिनांक 2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन) —सह— अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)

विषय :

किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2015-16 में 781269282.00 (अठ्तर करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ बेरासी) रु० मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल सामान्य जाति के किसान सलाहकार के लिए 488475180.00 (अड़तालिस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

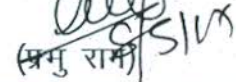
आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2015-16 में 781269282.00 (अठ्तर करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ बेरासी) रु० मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल सामान्य जाति के किसान सलाहकार के लिए 488475180.00 (अड़तालिस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. किसान सलाहकार योजना की प्रथम स्वीकृति वर्ष 2009-10 में दी गयी थी। यह सरकारी पद नहीं है बल्कि पंचायत स्तर पर किसानों को परामर्श देने के लिए सलाहकार केन्द्र को स्थापित करने तथा इसे चलाने के लिए किसान सलाहकार का चयन हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा C.W.J.C. no. 20052/2012 के न्यायादेश में यह स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है कि यह Civil Post नहीं है। राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 8463 लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7326 किसान सलाहकार चयन किये गये थे जिसमें वर्तमान में 6753 किसान सलाहकार कार्यरत हैं।
3. किसान सलाहकारों को दिनांक— 01.04.2015 से पूर्व की भांति 6000 रु० प्रतिमाह एवं दिनांक— 01.08.2015 के प्रभाव से मानदेय 6000.00 रु० से बढ़ाकर 8000.00 रु० प्रतिमाह की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. किसान सलाहकार केन्द्रों के संचालन के लिए चयन किये गये किसान सलाहकारों के कार्यों की समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। कृषि विभाग की योजनाओं में संबंधित पंचायत की प्रगति के अनुसार इनके कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
5. योजना कार्यान्वयन में समय-समय पर आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
6. निकासी हेतु स्वीकृत 488475180.00 (अड़तालिस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी) रु० मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 109— विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0106—इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड P2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड AGR -5022 विषय शीर्ष 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, वर्ष 2015-16 में उपबंधित 488485000.00 (अड़तालिस करोड़ चौरासी लाख पचासी हजार) रु० मात्र से विकलनीय होगा। उपर्युक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लम्बित मानदेय राशि का भी भुगतान किया जायेगा।
7. किसान सलाहकार की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को चार लाख रु० का अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

8. योजनान्तर्गत निकासी हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी अनुसूची-1 संलग्न है। संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी अपने से संबंधित कोषागार से स्वीकृत राशि की निकासी कर सकेंगे।
9. योजनान्तर्गत किसान सलाहकार को लेखन सामग्री (यथा- रजिस्टर/डायरी/कलम एवं विभिन्न प्रपत्र आदि) एवं मुख्यालय कार्यालय हेतु उपस्कर क्रय एवं अन्य कार्यालय व्यय से संबंधित संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार आकस्मिकता मद से राशि का व्यय किया जायेगा।
10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या- कृ०प्र० किसान सलाहकार योजना 01/2015 के पृष्ठ संख्या 31/टि० पर दिनांक- 22.08.2015 को प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- कृ०प्र० किसान सलाहकार योजना 01/2015 के पृ० सं०- 35/टि० पर दिनांक- 03.09.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रमु रास)

निदेशक (प्रशासन, -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 435

/कृ०, प्रसार, पटना, दिनांक 8/9/ 2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन, -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 435

/कृ०, प्रसार, पटना, दिनांक 8/9/ 2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन, -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 435

/कृ०, प्रसार, पटना, दिनांक 8/9/ 2015

प्रतिलिपि : सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन, -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 435

/कृ०, प्रसार, पटना, दिनांक 8/9/ 2015

प्रतिलिपि : मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं उद्यान निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप निदेशक (शष्य), सूचना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन, -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 30
08.09.15



वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत सामान्य जाति के कार्यरत किसान सलाहकार के लिए तत्काल निकासी हेतु स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी।

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मानदेय (रु० में)	आकस्मिकता (रु० में)	कुल राशि (रु० में)
1	2	3	4	5
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	17046450.00	49000.00	17095450.00
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा	12888780.00	36600.00	12925380.00
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	10893100.00	31400.00	10924500.00
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	8731110.00	25200.00	8756310.00
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)	12473010.00	33000.00	12506010.00
6	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	8481650.00	24600.00	8506250.00
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	17794830.00	48000.00	17842830.00
8	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	11074370.00	32600.00	11106970.00
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	5248340.00	14800.00	5263140.00
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	3947470.00	11600.00	3959070.00
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा	10976250.00	30800.00	11007050.00
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा)	15882300.00	47200.00	15929500.00
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान	18306320.00	49600.00	18355920.00
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज	15350510.00	41800.00	15392310.00
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	20788350.00	60400.00	20848750.00
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	24280800.00	71200.00	24352000.00
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	20622050.00	59400.00	20681450.00
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी	15133920.00	41400.00	15175320.00
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	2963170.00	8200.00	2971370.00
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	18543210.00	53200.00	18596410.00
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	22451420.00	63000.00	22514420.00
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी	23199800.00	64800.00	23264600.00
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	20871510.00	61200.00	20932710.00
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय	15615630.00	40600.00	15656230.00
25	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा	8999160.00	25800.00	9024960.00
26	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	11927700.00	33800.00	11961500.00
27	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	9341430.00	26400.00	9367830.00
28	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	6070200.00	17400.00	6087600.00
29	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ	13387700.00	33000.00	13420700.00
30	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	14551850.00	36200.00	14588050.00
31	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	12788370.00	29600.00	12817970.00
32	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	7400660.00	18000.00	7418660.00
33	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	14884460.00	40400.00	14924860.00
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	6735430.00	17000.00	6752430.00
35	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई	8647960.00	24000.00	8671960.00
36	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	3575600.00	10200.00	3585800.00
37	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा	3649400.00	9800.00	3659200.00
38	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका	11500310.00	29400.00	11529710.00
39	कार्यालय अपर निदेशक (शष्य), बिहार	0.00	100000.00	100000.00
योग :-		487024580.00	1450600.00	488475180.00

(अड़तालिस करोड़ चौरास्सी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र)

दिनांक 30
08.09.15

निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव
कृषि, विभाग बिहार, पटना।